मंज़ूरियों के लिए विभागों के न लगें चक्कर: योगी

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निवेशकों और उद्यमियों के लिए ऑनलाइन फ्रंट ऐंड सिंगल विंडो की व्यवस्था बनाई गई है। उद्यमियों को इसका लाभ भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ मामलों में निवेशकों को स्वीकृतियों के लिए अन्य विभागों से संपर्क करना पड़ता है। इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। पूरे अर्थों में 'सिंगल विंडो' की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। स्वीकृतियों के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगने चाहिए।

योगी ने मंगलवार देर शाम इन्वेस्ट यूपी के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह भी देखने को मिला है कि निवेश की श्रेणी के आधार पर विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों के जरिए NOC की व्यवस्था है। इसमें सुधार करना होगा। निवेश मित्र का पुनर्गठन करें। तकनीक की सहायता से ऐसी व्यवस्था करें, जिससे उद्यमियों के आवेदन अन्य विभागों को रीडायरेक्ट नहीं हो। सभी विभागों को जोड़ें। प्रत्येक आवेदन का निस्तारण तय समय सीमा में हो। समय सीमा में निस्तारण न होने पर डीम्ड अनुमति मिलनी चाहिए। सिंगल विंडो ऐक्ट लागू किया जाए, जिसके अंतर्गत बड़े निवेश के लिए औद्योगिक विकास विभाग से एकल स्वीकृति मिलने की व्यवस्था हो।

सीएम ने इन्वेस्ट यूपी के कामकाज की समीक्षा की

हर निवेशक हमारे लिए महत्वपूर्ण : सीएम ने कहा कि 'इन्वेस्ट यूपी' को मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एजेंसी के रूप में काम करना होगा। इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएं। हमारे पास हर सेक्टर के इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जो अपने अनुभव और विशेषज्ञता के अनुसार ग्लोबल लेवल पर इंडस्ट्री से सुविधाजनक ढंग से संवाद और समन्वय बना सकें। पिछले 8 साल में यूपी सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इस सकारात्मक माहौल को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। हर निवेशक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सभी की सुविधा, सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बेहतर होगा कि इस कार्य में उद्यमी मित्रों का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। निवेश सारथी पोर्टल को और उपयोगी बनाएं। इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत एक चेजिंग सेल (अनुश्रवण प्रकोष्ठ) बनाएं, जिसमें अलग-अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर के विशेषज्ञ हों। यह सेल संभावनाओं वाले सेक्टरों को तलाशे, संवाद और समन्वय बनाए। इन्वेस्ट यूपी शासी निकाय की छमाही बैठक जरूर आयोजित की जाए।

नई पॉलिसीज को जल्द अमल में लाया जाए

योगी ने कहा कि विदेश में इंडस्ट्री अप्रोच के लिए भारत सरकार के दूतावासों से संपर्क-समन्वय बनाना उपयोगी होगा। प्रदेश के पोटेंशियल के अनुरूप बदलते वैश्विक औद्योगिक परिवेश का अधिकाधिक लाभ इसके लिए नए सेक्टर्स के लिए भी पॉलिसी लाएं। इंडस्ट्री विभाग ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, फुटवियर ऐंड लेदर, सर्विस सेक्टर पॉलिसी, फिनटेक और फाइनेंशल सर्विस और बायोटेक पॉलिसी यथाशीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करे। औद्योगिक विकास के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए।